

दिनांक 21.8.2018 की डीजीएफटी अधिसूचना सं. 26/2015-2020, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, मय और जून 2023 माह के दौरान आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड के माध्यम से प्रसंस्कृत खनिजों के निर्यात को कैनालाइज करने के लिए इच्छुक भारतीय (इंडियन) प्रसंस्कृत खनिजों के उत्पादकों / विक्रेताओं के लिए सूचना

NOTICE TO INDIAN PROCESSED MINERALS PRODUCERS / SELLERS DESIROUS TO EXPORT BSM CANALISED THROUGH IREL (INDIA) LIMITED VIDE DGFT NOTIFICATION NO. 26/2015-2020, NEW DELHI DATED 21.8.2018 DURING THE MONTH OF APRIL, MAY AND JUNE 2023

विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक: 21.8.2018 की अधिसूचना संख्या: 26/2015-2020, नई दिल्ली - निर्यात और आयात मद 2018 के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 26 में भारतीय (इंडियन) बीच सैंड मिनेरल (बीएसएम) पर निर्यात नीति जारी की गई।

Directorate General of Foreign Trade, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India issued Notification no: 26/2015-2020, New Delhi dated: 21.8.2018 - on export policy on Beach Sand Minerals (BSM) in Chapter 26 of Schedule 2 of ITC(HS) classification of export and import items 2018.

बीएसएम स्रोत- इल्मेनाइट, रुटाइल, ल्यूकोक्सिन (एचएसएन 2614 0010, 2614 0020, 2614 0031, 2614 0039, 2614 0090 के तहत टाइटेनियम धारक खनिज), ज़िरकॉन (एचएसएन 2615), मोनाज़ाइट (एचएसएन 2612 1000, 2612 2000 के तहत), सिल्लिमेनाइट (एचएसएन 2508 5031, 2508 5032, 25085039 के तहत) और गार्नेट (एचएसएन 2513 2030) के प्रसंस्कृत खनिजों के निर्यात को उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज के अधीन लाया गया है एवं इसे भारत सरकार के उपक्रम मेसर्स आईआरईएल इंडिया लिमिटेड (आईआरईएल) के माध्यम से कैनालाइज किया जाएगा। निर्यात नीति में कहीं भी अनुमत बीएसएम स्रोत से प्रसंस्कृत खनिजों को अब निर्यात नीति की अनुसूची 2 के अध्याय 26 के क्र.सं.: 98ए के नीति के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

Export of **Processed Minerals from BSM Source** Ilmenite, Rutile, Leucosene (Titanium bearing minerals under HSN 2614 0010, 2614 0020, 2614 0031, 2614 0039, 2614 0090), Zircon (HSN 2615), Monazite (under HSN 2612 1000, 2612 2000), Sillimanite (under HSN 2508 5031, 2508 5032, 25085039) and Garnet (HSN 2513 2030), vide the above notification have been brought under State Trading Enterprise and shall be canalised through M/s IREL (India) Limited (IREL), a Government of India Undertaking. Processed Minerals from

BSM Source permitted anywhere in the export policy will now be regulated in terms of policy under Sl. No: 98A of Chapter 26 of Schedule 2 Export policy.

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार आईआरईएल के माध्यम से बीएसएम स्रोत से प्रसंस्कृत खनिजों के निर्यात को कैनालाइज करने के लिए इच्छुक भारतीय (इंडियन) प्रसंस्कृत खनिजों के उत्पादकों / विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे आईआरईएल को अप्रैल, मय और जून 2023 के महीने के लिए निम्नलिखित प्रारूप में जानकारी प्रस्तुत करें :

Indian Processed Mineral Producers/ Sellers from BSM Source desirous of export of BSM canalized through IREL vide above referred notification are requested to submit the information in the following format for the month of April, May and June 2023 to IREL:

क्र. सं./ Sr No.	उत्पाद का नाम / Name of the product	विशेष विवरण / Specification	मात्रा मी.टन में/ Quantity in MT
1			
2			

उपरोक्त जानकारी 28 फ़रवरी 2023 तक इस वचनबद्धता के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए कि वे विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एवं भारत के राजपत्र विशेष भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 21.8.2018 की अधिसूचना संख्या 26/2015-2020 के अनुसार बीच सैंड मिनेरल्स (बीएसएम) की निर्यात नीति के लिए एसओपी में निर्धारित सभी दस्तावेज जमा करेंगे।

The aforesaid information should be submitted by 28th of February 2023 along with the undertaking that they shall submit all the documents as stipulated in the SOP towards export policy of Beach Sand Minerals (BSM) in terms of Notification No. 26/2015-2020 dated 21.8.2018 published by Directorate General of Foreign Trade (DGFT), Ministry of Commerce, Govt. of India and published in the Gazette of India Extraordinary Part-II, Section-3, Sub - Section (ii).

उपरोक्त जानकारी इस मेल पर भेजी जाए canalising.bsm@irel.co.in

The above information shall be furnished to canalising.bsm@irel.co.in